# जैकलीन ने रचा स्टारडम का नया इतिहास

**बॉलीवुड** अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने फिल्म वेलकम टू द जंगल की सफलता और अपने एआई अवतार के लॉन्च के साथ मनोरंजन जगत में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशाली उपस्थिति को एक बार फिर रेखांकित किया है. जैकलीन ने पिछले कुछ वर्षों में न केवल व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अपनी पहचान मजबूत की है, बल्कि तकनीक, संगीत, फैशन और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी अलग छाप छोड़ी है. वेलकम टू द जंगल, हाउसफुल 5 और फतेह जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने उन्हें उद्योग की भरोसेमंद और लोकप्रिय कलाकारों में शामिल किया है.

जैकलीन ने अपने एआई अवतार के लॉन्च के माध्यम से डिजिटल मनोरंजन और नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है. इसे उनके करियर के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है, जो उन्हें उन चुनिंदा भारतीय कलाकारों में शामिल करता है जो पारंपरिक सिनेमा के साथ-साथ भविष्य की तकनीकों को भी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जैकलीन की पहचान लगातार मजबूत हुई है. उन्होंने इटैलियन ग्लोबल सीरीज़ फेस्टिवल, रेड सी फिल्म फेस्टिवल के 'विमेन इन सिनेमा' कार्यक्रम, पेरिस फैशन वीक, लंदन फैशन वीक और विंबलडन जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्हें एशे ग्लोबल एंटरटेनर अवॉर्ड जैसे सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है. संगीत के क्षेत्र में भी जैकलीन ने कई लोकप्रिय गीतों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.

चिट्टियां कलाइयां, लत लग गई, मनी मनी और डम डम जैसे गीतों ने उन्हें दर्शकों के बीच खास लोकप्रियता दिलाई है. फिल्मों के अलावा फैशन, फिटनेस, परोपकारी गतिविधियों, लाइव प्रस्तुतियों और डिजिटल अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जैकलीन ने खुद को एक बहुआयामी कलाकार के रूप में स्थापित किया है.

# इमरान संग लौटा 'ये आवारापन' का जादू

**विशेष** फिल्म्स और सोनी म्यूज़िक इंडिया ने 'आवारापन 2' का बहुप्रतीक्षित टाइटल ट्रैक 'ये आवारापन' रिलीज़ कर दिया है. फिल्म का यह नया गीत रिलीज़ के साथ ही सोशल मीडिया और म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा में आ गया है. इससे पहले फिल्म का पहला गीत 'वे जुनून' यूट्यूब पर 30 मिलियन से अधिक व्यूज़ हासिल कर चुका है.

इसके अलावा यह यूट्यूब ट्रेंडिंग में दूसरे स्थान तक पहुंचा और स्पॉटिफाई इंडिया के टॉप-100 चार्ट में भी अपनी जगह बनाने में सफल रहा. 'ये आवारापन' की सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनात्मक गहराई है. अरिजीत सिंह की आत्मा को छू लेने वाली आवाज़, आमाल मलिक का सुकून भरा संगीत और रश्मि विराग के दिल से निकले बोल मिलकर ऐसा माहौल रचते हैं, जो प्यार, अधूरी चाहत, दर्द और उम्मीद की भावनाओं को बेहद प्रभावशाली ढंग से सामने लाता है. गीत की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बनकर उभरती है और यही वजह है कि यह सुनने वालों के दिल में लंबे समय तक अपनी जगह बना लेता है. म्यूज़िक वीडियो में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में दिखाई देते हैं. उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति और स्क्रीन प्रेजेंस गीत को और अधिक प्रभावशाली बनाती है. वीडियो का हर दृश्य कहानी के साथ गहराई से जुड़ता है और दर्शकों को किरदार की भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बना देता है.

# लॉक अप 2 में छाई अर्जुन कपूर की होस्टिंग

**अभिनेता** अर्जुन कपूर ने रियलिटी शो 'लॉक अप' के दूसरे सीज़न में अपनी मेहमान होस्टिंग से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है. शो के हालिया एपिसोड में उन्होंने होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान के साथ मंच साझा किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी प्रस्तुति की जमकर सराहना हो रही है.

एपिसोड में अर्जुन कपूर ने 'इल्ज़ाम 2.0', रोचक सवालों और 'जनता की आवाज़' जैसे सेगमेंट के माध्यम से शो में नया उत्साह जोड़ा. दर्शकों ने उनकी सहजता, हाज़िरजवाबी और प्रतिभागियों के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता की प्रशंसा की है. सोशल मीडिया पर एक दर्शक ने लिखा कि अच्छे होस्ट वही होते हैं जो बातचीत का हिस्सा महसूस होते हैं, न कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और अर्जुन कपूर में यही विशेषता दिखाई देती है. वहीं अन्य दर्शकों ने कहा कि उनकी मौजूदगी से प्रतिभागी सहज महसूस करते हैं, जो किसी भी सफल होस्ट की महत्वपूर्ण पहचान होती है. कुछ प्रशंसकों ने अर्जुन कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस, आत्मीयता और हास्यबोध की भी सराहना की. कई दर्शकों ने यह राय व्यक्त की कि उन्हें भविष्य में पूरे शो की मेज़बानी करते हुए देखना दिलचस्प होगा. नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे इस एपिसोड को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.

# जॉन अब्राहम ने खरीदा बांद्रा में लग्जरी बंगला

**बॉलीवुड** अभिनेता जॉन अब्राहम ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा वेस्ट में लगभग 84 करोड़ रुपये की लागत से एक शानदार फ्रीहोल्ड रिहायशी बंगला खरीदकर एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह संपत्ति सेंट मार्टिन रोड पर स्थित है, जिसे मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे रिहायशी इलाकों में गिना जाता है.

इस क्षेत्र में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां और देश के नामी उद्योगपतियों के आलीशान घर मौजूद हैं, जिसके कारण इस इलाके की पहचान देश के सबसे प्रीमियम एड्रेस में होती है. यह प्रॉपर्टी करीब 1,017.60 वर्गमीटर के विशाल प्लॉट पर बनी हुई है. परिसर में लगभग 31.50 वर्गमीटर का आउटहाउस भी शामिल है, जबकि मुख्य बंगले का निर्मित क्षेत्र करीब 193.12 वर्गमीटर बताया जा रहा है.

## टेलीविजन हलचल

### घर की यादों में खोई 'पुष्पा इम्पॉसिबल' की पूरी कास्ट

सोनी सब के लोकप्रिय धारावाहिक पुष्पा इम्पॉसिबल में इन दिनों भावनात्मक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है. शो में दिलीप (जयेश मोरे) द्वारा पुष्पा (करुणा पांडे) की जानकारी के बिना घर गिरवी रख दिए जाने के बाद बैंक द्वारा घर जब्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है. इस संकट ने परिवार को गहरे भावनात्मक दौर से गुजरने पर मजबूर कर दिया है. शो के इस भावुक ट्रैक ने कलाकारों को भी अपने जीवन में घर और उससे जुड़ी यादों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया.

### तुलसी की नई चाल से बदलेगी परिवार की किस्मत

लोकप्रिय टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का आगामी एपिसोड कई बड़े ट्विस्ट लेकर आने वाला है. नकुल और वैष्णवी की शादी के बीच रिश्तों की उलझन, पारिवारिक टकराव और एक ऐसा रहस्य सामने आने की आहट है, जो पूरे शांति निकेतन को हिला सकता है. शादी की रस्मों के बीच तुलसी एक बार फिर परिवार को जोड़ने की कोशिश में जुटी है. वह अपनी सूझबूझ से करण और गौतम को एक साथ लाने की योजना बनाती है. हालांकि करण इस शादी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुलसी को पूरा विश्वास है कि परिवार की एकता आखिरकार सभी मतभेदों पर भारी पड़ेगी.

## कृषि जगत

# बरसात में भुट्टा उगाने का जानिए सही तरीका

**बारिश का मौसम भुट्टे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है. इस दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी और अनुकूल तापमान होने से बीजों का अंकुरण तेजी से होता है और पौधों का विकास भी बेहतर होता है. यदि किसान शुरुआत से ही सही तकनीक अपनाएं, तो कम लागत में भी अच्छी गुणवत्ता वाली फसल और बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है.**

सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाना जरूरी है. इसके बाद खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं. बुवाई के लिए हमेशा प्रमाणित और उन्नत किस्म के बीजों का चयन करना चाहिए, ताकि फसल रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो और उत्पादन भी अधिक मिले.

मानसून के दौरान सबसे बड़ी चुनौती खेत में जलभराव की होती है. यदि लंबे समय तक पानी खेत में जमा रहता है, तो पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं और पूरी फसल खराब हो सकती है. इसलिए खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करना बेहद जरूरी है.

बीजों की बुवाई भी सही दूरी और उचित गहराई पर करनी चाहिए, ताकि हर पौधे को पर्याप्त धूप, हवा और पोषक तत्व मिल सकें. इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और भुट्टे का आकार भी बेहतर बनता है. फसल की अच्छी वृद्धि के लिए जैविक खाद के साथ-साथ कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करना चाहिए. यदि बारिश कुछ दिनों तक न हो, तो आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई भी करनी चाहिए.

खेत में खरपतवार की नियमित सफाई और तना छेदक जैसे कीटों पर नजर रखना भी बेहद जरूरी है. समय रहते कीट एवं रोग नियंत्रण के उपाय अपनाने से फसल सुरक्षित रहती है और उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता.

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान सही समय पर बुवाई, संतुलित पोषण, बेहतर जल निकासी और नियमित देखभाल पर ध्यान दें, तो बारिश के मौसम में भुट्टे की खेती बेहद लाभदायक साबित हो सकती है. बाजार में बरसाती भुट्टे की मांग हमेशा अधिक रहती है, ऐसे में अच्छी गुणवत्ता वाली फसल किसानों को बेहतर दाम दिलाने के साथ उनकी आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर सकती है.

# लाल मिर्च से बनाएं असरदार नेचुरल कीटनाशक

**सूखी लाल मिर्च में मौजूद प्राकृतिक तीखे तत्व, खासकर कैप्साइसिन कई प्रकार के कीटों को पौधों से दूर रखने में मदद करते हैं.**

यही कारण है कि इसे प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है. यदि आपके गार्डन में एफिड्स (माहू), सफेद मक्खी, थ्रिप्स या पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे कीट दिखाई दे रहे हैं, तो सूखी लाल मिर्च से तैयार किया गया स्प्रे एक आसान और प्रभावी उपाय हो सकता है. इसे बनाने के लिए 8 से 10 सूखी लाल मिर्च को एक लीटर पानी में 10 से 15 मिनट तक उबालें. पानी ठंडा होने के बाद इसे अच्छी तरह छान लें और इसमें कुछ बूंदें लिक्विड साबुन या हल्का प्राकृतिक साबुन मिलाएं,


**एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि.**
सी.आई.एन. नंबर- U 65999MH2002PLC134884
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम मुंबई-400028
दूरभाष संख्या- 022-66581300

**शुद्धि-पत्र**

कृपया इस समाचार पत्र में दिनांक 21.07.2026 को प्रकाशित हमारे 'उधारकर्ताओं/गारंटरों को नोटिस' विज्ञापन का संदर्भ लें. त्रुटिवश सी.आई.एन.नंबर को 65999MH2002PLC134884 उल्लेखित कर दिया गया है. सी.आई.एन. नंबर- U65999MH2002PLC134884 पढ़ा जाए. इस त्रुटि के लिए खेद है. अन्य सभी मामले अपरिवर्तित रहेंगे.

**प्राधिकृत अधिकारी**



**CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED**
Group Company of peoplehome
A Subsidiary of Weaver Services Private Limited
All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 301, तीसरी मंजिल, हरभजन कमर्शियल प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सीएसटी रोड, बीपीसीएल पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई - 400098
सीआईएन: U65922MH2016PLC273826

**कब्जा सूचना**

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के परिशिष्ट IV को नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पढ़ा जाए तो)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को जारी मांग नोटिस के अनुसार, नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदात्मक ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का अनुरोध किया जाता है। ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता और आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा देय राशि के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें संविदात्मक ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि शामिल होंगे। ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

| क्र. | ऋण खाता संख्या / ऋण लेने वाले का नाम / सह-ऋण लेने वाले का नाम / | सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति) | मांग सूचना की तिथि और कुल बकाया राशि (रु.) | कब्जा लेने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UDRMD25021982 विद्या बाई चमार (स्वर्गीय मगीलाल चमार की कानूनी वारिस)/स्वर्गीय मगीलाल चमार की कानूनी वारिस | अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में खसरा संख्या 203/2(बी), प्लॉट संख्या 253(पी), क्षेत्रफल 138 वर्ग मीटर, पीएचएन -0075, ग्राम-कोवली, तहसील-सीतमऊ, जिला- मंदसौर-458558, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- स्वयं की भूमि, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- स्वयं की भूमि, दक्षिण- आम रास्ता. | 27-जनवरी-26/ रुपये 6,87,097/- (रु. छह लाख सतासी हजार सन्तानवे मात्र) | 18-07-2026 |
| 2. | UDRMD25021127 वाल सिंह/ श्याम बाई सोंधिया | अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में मकान संख्या 582, क्षेत्रफल 4818 वर्ग फुट, पीएचएन 47, वार्ड संख्या 18, एलएसएन 684, ग्राम-खाकरियाखेड़ी, तहसील- मल्हारगढ़ और जिला- मंदसौर-458556, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- सड़क, पश्चिम- रामसिंह पुत्र भूरसिंह का घर, उत्तर-सड़क, दक्षिण- स्वयं की भूमि. | 05-मार्च-26/ रुपये 12,13,315/- (रु. बारह लाख तेरह हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) | 18-07-2026 |
| 3. | UDRMD25020831 विनोद कुमार/ ललिता बाई | अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में खसरा संख्या 368 (बी), प्लॉट संख्या 45 (पी), क्षेत्रफल 159 वर्ग मीटर, पीएच संख्या 0008, ग्राम - कचरिया कदमला, तहसील - मल्हारगढ़, जिला - मंदसौर-458556, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- प्रकाश पुत्र बागदीराम, पश्चिम- कमल सिंह पुत्र भेरू सिंह, उत्तर- बागदीराम का घर और मंदिर, दक्षिण- साझा सड़क. | 09-अप्रैल-26/ रुपये 11,46,534/- (रु. ग्यारह लाख छियालीस हजार पांच सौ चौंतीस मात्र) | 18-07-2026 |
| 4. | UDRMD24020360 वीरेंद्र सिंह/ विष्णु कुंवर देवड़ा/ गोविंद सिंह/ बाल कुंवर | अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में पीएचएन 02, एलएसएन 117/1/2, क्षेत्रफल 2152.8 वर्ग फुट, ग्राम- कचरिया देव, तहसील-मंदसौर, जिला-मंदसौर-458339, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- गुलाबसिंह का गृह, पश्चिम- लालसिंह, उत्तर- सड़क, दक्षिण- स्वयं की भूमि. | 30-सितंबर-2025/ रुपये 14,00,012/- (रु. चौदह लाख बारह मात्र) | 18-07-2026 |
| 5. | UDRMD24016810 गोपाल गोपाल/ मन कुंवर | अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में, मकान संख्या 31, वार्ड संख्या 19, पीएचएन18, क्षेत्रफल 990 वर्ग फुट, ग्राम- लासुदिया नाठी, तहसील-पिपलोदा, जिला-रतलाम-458558, मध्य प्रदेश सीमाएँ- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- दशरथ राणा का घर, दक्षिण- कृष्ण कटारिया का घर. | 29-नवंबर-2025/ रुपये 6,02,226/- (रु. छह लाख दो हजार दो सौ छब्बीस मात्र) | 18-07-2026 |
| 6. | IDRRM18002881 खेमराज लालवानी/ प्रिया लालवानी | अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में आवासीय मकान, भूमि सर्वेक्षण संख्या 1716 (भाग) (पुराना), नया भूमि सर्वेक्षण संख्या 145/मिन-35/मिन-2, क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट, शिक्षक कॉलोनी, ग्राम -दलोदा चौपाटी, जिला -मंदसौर-458001, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- गली, पश्चिम-सड़क, उत्तर- अन्य व्यक्ति का निवास, दक्षिण- सुशीलाबाई का निवास | 09-अप्रैल-26/ रुपये 10,90,580/- (रु. दस लाख नब्बे हजार पांच सौ अस्सी मात्र) | 18-07-2026 |
| 7. | IDRRM18001589 रिंकू तलेरा/ अमित तलेरा (स्वर्गीय सुरेश कुमार तलेरा के कानूनी वारिस)/ स्वर्गीय सुरेश कुमार तलेरा के कानूनी वारिस सुरेश कुमार तलेरा | अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में प्लॉट संख्या 51 पर निर्मित मकान, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, वार्ड संख्या 9, आशीर्वाद परिसर (मनशुखानी की कॉलोनी), कस्बा और तहसील-जावरा, जिला-रतलाम-457226, मप्र. सीमाएँ- पूर्व- कॉलोनी रोड, पश्चिम- प्लॉट संख्या 46 पर निर्मित मकान, उत्तर- मकान संख्या 50 श्री नरेश शर्मा, दक्षिण- मकान संख्या 52 श्री लोकेंद्र नवलाखा. | 05-मार्च-26/ रुपये 12,24,277/- (रु. बारह लाख चौबीस हजार दो सौ सतहत्तर मात्र) | 18-07-2026 |

दिनांक: 22.07.2026
स्थान: मध्य प्रदेश

हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी,
सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए



SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

**एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड**

**कार्पोरेट आफिस:** 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लॉक, इन्सीप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ई) मुंबई- 400051

**रजि. आफिस:** कमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पुरुर, चेन्नई-600116, चमिलनाडु

**डिमांड नोटिस**

**वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम')**

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस(ओं) की विषयवस्तु नीचे उद्धृत की गई है:-

| क्र. | ऋण खाता संख्या एवं नाम उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता संपत्ति धारक जैसा भी मामला हो | सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (बंधक संपत्ति) | डिमांड नोटिस तिथि 13/2 के तहत और कुल बकाया |
|---|---|---|---|
| 1. | LAN : 601639211618419 1. कमल कैलाश 2. कल्पना पनोदिया पता- 736, पिवडे, इंदौर, मध्य प्रदेश 452020 | वह पूर्ण भूभाग और पार्सल संपत्ति जो पी.एच. संख्या 79 (नया-16), सर्वे संख्या 1419 (विभाजन के बाद) (बटांकन) 1419/1), ग्राम कामपेल, खुडैल, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2260 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं - पूर्व- उसी सर्वे संख्या की शेष भूमि; पश्चिम- मार्ग; उत्तर- मार्ग; दक्षिण- अन्य की भूमि. | 18.06.2026 रु. 16,58,456.19 (रु. सोलह लाख अट्ठावन हजार चार सौ छप्पन और पैसा उन्नीस मात्र) दिनांक 10.06.2026 को एनपीए दिनांक: 05.06.2026 |
| 2. | LAN : 601607510157402 1. विकास यादव 2. पुष्पा बाई शिवशंकर 3. साई फूड प्रोडक्ट्स पता: 1119, केशवानंद नगर, कोडरिया, इंदौर, मध्य प्रदेश -453 441. | मकान के साथ स्थित वह संपूर्ण संपत्ति, प्लॉट संख्या 163, दादाजी केशवानंद नगर कॉलोनी, ग्राम कोडरिया, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है. इसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- प्लॉट संख्या 164; पश्चिम- प्लॉट संख्या 162; उत्तर -कॉलोनी रोड; दक्षिण- खुला प्लॉट. | 15.06.2026 रु. 17,00,552/- (रु. सत्रह लाख पांच सौ बावन मात्र) दिनांक 10.06.2026 को एनपीए दिनांक: 05.06.2026 |
| 3. | LAN : 601707510213579 1. देवेंद्र कुमार गुप्ता 2. मधुलिका गुप्ता, 3. राहुल गुप्ता 4. श्री गुप्ता ट्रेडर्स पता: 15/10, ऋषि नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456 010 | मकान संख्या H-15/10 EWS में स्थित वह संपूर्ण संपत्ति, जो ऋषि नगर, उज्जैन, जिला, उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व/दक्षिण- प्लॉट संख्या H-15/8 EWS; पश्चिम/उत्तर- प्लॉट संख्या H-15/12 EWS; उत्तर/पूर्व- सड़क संख्या H-15; दक्षिण/पश्चिम- प्लॉट संख्या H-16 EWS. | 15.06.2026 रु. 21,92,013.04 (रु. इक्कीस लाख बानवे हजार तेरह और पैसा चार मात्र) दिनांक 10.06.2026 को एनपीए दिनांक: 05.06.2026 |
| 4. | LAN : 601640111997933 1. पवन वधवानी 2. जिया वधवानी पता: फ्लैट संख्या 106, सागर प्लेस 386 87 खाटीवाला टैंक, इंदौर - 452 014 | दुकान संख्या 01, प्लॉट संख्या 1046, बी.जी. पैलेस, स्कीम संख्या 44, खाटीवाला टैंक नगर निगम, वार्ड संख्या 65, इंदौर तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित संपूर्ण संपत्ति. 27.78 वर्ग मीटर संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं - पूर्व- प्रकोष्ठ; पश्चिम- भवन में प्रवेश करने का मार्ग; उत्तर-उसी भवन में एक अन्य फ्लैट; दक्षिण- सड़क. | 15.06.2026 रु. 25,80,612.78 (रु. पच्चीस लाख अस्सी हजार छह सौ बारह और पैसा अठ्ठहत्तर मात्र) दिनांक 10.06.2026 को एनपीए दिनांक: 05.06.2026 |
| 5. | LAN : 601607510286577 1. चंदबाई महेश पाटीदार 2. कृष्णा पाटीदार 3. अंकुश डेयरी पता: वार्ड 03, छत्रीपुरा तिरला 09, धार, मध्य प्रदेश-454 001 | कृषि भूमि के भूखंड पर निर्मित वह पूर्ण संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल सर्वे संख्या 423 पैकी है, 0.023 हेक्टेयर, ग्राम- तिरला, तहसील और जिला धार, मध्य प्रदेश. इसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- इस सर्वे संख्या की शेष भूमि; पश्चिम- देवचंद पटेल की भूमि; उत्तर- इस सर्वे संख्या की शेष भूमि; दक्षिण- सड़क. | 15.06.2026 रु. 15,20,874.72 (रु. पन्द्रह लाख बीस हजार आठ सौ चौहत्तर और पैसा बहत्तर मात्र) दिनांक 10.06.2026 को एनपीए दिनांक: 05.06.2026 |
| 6. | LAN : 604639512047231 1. मंगल सिंह 2. फुंदा कंवर राजपूत पता: ग्राम सिकहेड़ी, तहसील रतलाम गुनाव्ड ए लॉट, रतलाम, मध्य प्रदेश 457 222 | वह संपूर्ण संपत्ति जो पीएच नंबर 10, मकान कर पंजीकरण संख्या 243, ग्राम सिकहेड़ी, तहसील एवं जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 875 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- गली; पश्चिम- सामान्य मार्ग; उत्तर- शंकर सिंह; दक्षिण- सामान्य मार्ग. | 15.06.2026 रु. 11,54,104.44 (रु. ग्यारह लाख चौवन्न हजार एक सौ चार और पैसा चवालीस मात्र) दिनांक 10.06.2026 को एनपीए दिनांक: 05.06.2026 |
| 7. | LAN : 615039211217612 और 615039511257073 1. करूलाल चौधरी 2. बलराम पता: 172, संजय हिल्स कॉलोनी, मंदसौर, मध्य प्रदेश- 458 001 | वह पूर्ण संपत्ति जो निम्नलिखित भाग में स्थित है- प्लॉट संख्या 172, भूमि सर्वेक्षण संख्या 08, संजय हिल्स कॉलोनी, वार्ड संख्या 02, मंदसौर, मध्य प्रदेश. इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- कॉलोनी रोड; पश्चिम- प्लॉट संख्या 173 पर गोपाल सेन का मकान; उत्तर- प्लॉट संख्या 172 के शेष भाग पर भेरूलाल का मकान; दक्षिण दिशा- दिनेश राठौर का मकान, प्लॉट संख्या 172 के शेष भाग पर. | 15.06.2026 रुपए 7,21,412.62 (रु. सात लाख इक्कीस हजार चार सौ बारह और पैसा बांसठ मात्र) दिनांक 10.06.2026 को एनपीए तिथि: 05.06.2026 |

उधारकर्ताओं को मांग नोटिस का अनुपालन करने और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है और यहां ऊपर इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस सहित भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक शुल्क, लागत और व्यय. उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएचएफसी एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा सुरक्षित की गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति. ऐसी स्थिति में उधारकर्ता निर्धारित सीमा के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहते हैं समय के साथ, एसएमएचएफसी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा. बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है इसके तहत भुगतान प्राप्त करें. एसएमएचएफसी को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, एसएमएचएफसी को अलग कानूनी पहल करने का भी अधिकार है. यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो शेष बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही एसएमएचएफसी को. यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत एसएमएचएफसी के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है और आगे अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, जिसके तहत उधारकर्ता को निपटान या लेन-देन से रोका/प्रतिबंधित किया जाता है. किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करना एसएमएचएफसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति और उपरोक्त का अनुपालन न करना धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है उक्त अधिनियम के. डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें तो, कर सकते हैं. इसे सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करें.

**स्थान- इन्दौर/उज्जैन/ धार/ रतलाम/ मन्दसौर, मध्यप्रदेश**
**दिनांक- 18-6-2026/15-6-2026**

एसडी/-
**प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड**